कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

स0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-83/2016-17/

दिनांक : /02/2017

सेवा में,

खण्ड विकास अधिकारी,

क्षेत्र पंचायत- पौड़ी

जिला- पौड़ी

विषय : क्षेत्र पंचायत पौड़ी का वर्ष 2014-15 से वर्ष 2015-16 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग -4 (ब)-1 में **03** प्रस्तर, भाग-4 (ब)-2 में **02** प्रस्तर तथा STAN मे शून्य प्रस्तर है। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-4 (ब)-1 के सभी प्रस्तरों की अनुपालन आख्या सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन देहरादून एवं भाग-4 (ब)-2 के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 83/2016-17/ दिनांक: /02/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।

2- निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड, डांडा लाखोंड, निकट आई0टी0पार्क, सहस्त्रधारा मार्ग, देहरादून।

3- निदेशक, लेखापरीक्षा (आडिट) निदेशालय, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

4 -जिला पंचायतराज अधिकारी, पौड़ी

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

वर्ष 2014-15 से 2015-16 तक के लिये क्षेत्र पंचायत पौड़ी (पौड़ी) पर निरीक्षण प्रतिवेदन

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत खण्ड विकास अधिकारी का नाम तथा पदनाम

श्री प्रमोद कुमार त्रिवेदी - खण्ड़ विकास अधिकारी

(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम

(i) श्री एस.के.वर्मा, स.ले.प.अ.

(ii) श्री के.एस.चौहान, स.ले.प.अ.

(iii) श्री विशाल कुमार गुप्त, स.ले.प.अ.

(iv) श्री रवीन्द्र सिहं, ले.प.

(स) संप्रेक्षा तिथि 26.12.2016 से 29.12.2016 तक

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि: 2014-15 से 2015-16 तक

भाग-दो

परिचयात्मक :

1. पंचायतीराज संस्था का नाम :. **क्षे.पं-. पौड़ी** जनपद**- पौड़ी**

(अ) उपरोक्त यदि ज़िला पंचायत है तो:- -

(ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः- 63

भौगोलिक क्षेत्र :- 46504 हेक्टेयर

जनसंख्या : -

2- निर्वाचित सदस्यों की संख्या : 23

3- पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः 06

4- (ब) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठक की संख्या:- 06

5- कर्मचारियों की संख्या : 18

6- पंचायतराज की सम्पत्तियां : आवासीय भवन एवं कॉलोनी

7- पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट : -

8- योजनाओं की संख्या :- -

9- (अ) सामाजिक संरक्षा

(ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धित: -

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें:-

(द) लाभार्थियों की संख्या:

10- वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि :

11- वर्ष के दौरान कुल व्यय : `153.87 लाख

(अ) सामान्यः -

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाये) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।

12- क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया-हाँ

भाग-4 (अ)

(क) **परिचयात्मकः**- कार्यालय ख.वि.अ., क्षेत्र पंचायत **पौड़ी**, जनपद- **पौड़ी** के लेखा/अभिलेखों की वर्ष 2014-15 से 2015-16 तक की सम्प्रेक्षा श्री एस.के.वर्मा, स.ले.प.अ., श्री के.एस.चौहान, स.ले.प.अ., श्री विशाल कुमार गुप्त, स.ले.प.अ. एवं श्री रवीन्द्र सिहं ले0प0 द्वारा दिनांक 26.12.2016 से 29.12.2016 तक सम्पादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः-

(i) महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	**प्रस्तर भाग 4(ब)-1**	**प्रस्तर भाग 4(ब)-2**
	शून्य	

	प्रतिवेदन संख्या वर्ष	**भाग प्रस्तरों की संख्या**
(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर	--	
(ग) सतत अनियमितताओं की सूची	--	शून्य
(घ) अप्रस्तुत अभिलेख	-	

भाग 4 (ब)-1

प्रस्तर 1 - वित्तीय लेनदेनों का मिलान न किए जाने एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका में प्रावधानित अभिलेख के रख-रखाव न किए जाने से 8.36 लाख के अतिरिक्त आहरण का समायोजन लम्बित रहना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड-VI के नियम संख्या 172 के अनुसार, किसी भी कर्मचारी को किसी देयक के सापेक्ष दिये गए अग्रिम को अस्थाई अग्रिम कहा जाता है और इस प्रकार के अग्रिमों से सम्बन्धित लेखों की लेखाबन्दी यथा शीघ्र कर ली जानी चाहिए।

इसके अतिरिक्त, नियमानुसार बैंकों से समाधान विवरण प्रत्येक माह/ त्रैमास के अंत में प्राप्त किया जाना चाहिए जिससे कि वित्तीय लेनदेनों का यथोचित पता लगाया जा सके।

इकाई के अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि इकाई द्वारा अग्रिमों से सम्बन्धित लेखों (अग्रिम पंजिका) का रख-रखाव नहीं किया जा रहा था एवं न ही बैंकों से समाधान विवरण प्राप्त किया जा रहा था।

आगे, क्षेत्र पंचायत के अनुदान पंजिका भाग- तीन के अवलोकन में निम्नलिखित विवरण पाया गया:

(धनराशि ` में)

अनुदान पंजिका	पंजिका के अनुसार अंतिम अवशेष (2015-16)	बैंक पास बुक के अनुसार अंतिम शेष (2015-16)	बिना भुने हुए चेक की कुल धनराशि	वास्तविक अवशेष	अंतर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(2)-(5)
प्रथम	68,49,193	73,29,639	8,80,446	64,49,193	4,00,000
द्वितीय	30,16,831	26,47,381	66,337	25,81,044	4,35,787
योग					**8,35,787**

पंजिका के अनुसार उक्त अंतर का कारण 'चेकों द्वारा अधिक आहरण' बताया गया था, जिसका विवरण निम्नवत है:

(धनराशि ` में)

क्रम संख्या	चेक संख्या	दिनांक	खाता संख्या	अतिरिक्त आहरित धनराशि
1	424573	01.05.2009	6997	1,00,000
2	450328	13.06.2009	3335	1,00,000
3	996870	12.08.2009	931	150
4	450332	12.08.2009	3335	15,337
5	450331	12.08.2009	3335	15,300
6	450333	12.08.2009	3335	5,000
7	821902	26.08.2009	931	2,00,000
8	309826	05.09.2009	300	2,00,000
9	191440	03.09.2009	7500	2,00,000
Total				**8,35,787**

आगे, अभिलेखों एवं पत्रावलियों के अवलोकन में पाया गया कि चेक के प्रतिपर्ण (counterfoil) एवं आहरित चेक के धनराशियों में निम्नानुसार अंतर था:

(धनराशि ` में)

क्रम संख्या	चेक संख्या	दिनांक	Counterfoil के अनुसार धनराशि	आहरित चेक की धनराशि	अंतर	नामे आहरित
1	450328	15.06.2009	1,897	1,01,897	1,00,000	स्वयं
2	424573	01.05.2009	1,895	1,01,895	1,00,000	कैशियर
3	821902	26.08.2009	5,000	2,05,000	2,00,000	स्वयं
4	309826	25.08.2009	1,000	2,10,000	2,00,000	स्वयं
5	191440	26.08.2009	1,000	2,10,000	2,00,000	स्वयं
6					35,787	अभिलेखों में विवरण अनुपलब्ध
योग					**8,35,787**	

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि चेक की प्रविष्टियों के साथ छेड़छाड़ (Mutilate) की गई थी एवं इकाई द्वारा अग्रिम पंजिका एवं इसके समायोजन सम्बन्धी कोई पंजिका नहीं बनाई गई थी तथा इकाई द्वारा समय रहते बैंक से समाधान (Reconcile) न किए जाने के कारण की गई अतिरिक्त धनराशि का आहरण विभाग के संज्ञान में नहीं आ सकी।

इस सम्बंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि बैंक से विवरण प्राप्त कर जांचोपरांत लेखापरीक्षा को अवगत करा दिया जाएगा एवं भविष्य में अग्रिम पंजिका का रख-रखाव एवं बैंक से समाधान (Reconcile) किया जाएगा।

इकाई का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि समय रहते उक्त नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए था जिससे कि अतिरिक्त आहरण पर यथाशीघ्र कार्यवाही की जा सके।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4 (ब)-1

प्रस्तर 2 - मेरा गाँव मेरी सड़क योजनान्तर्गत गठित आगणनो के अनुरूप तकनीकी स्वीकृति प्राप्त न किया जाना एवं स्वीकृति के अनुरूप धनावंटन प्राप्त न होने से किए गए व्यय ` 59.49 लाख का अलाभकारी सिद्ध होना।

उत्तराखंड राज्य एक पर्वतीय राज्य होने तथा विषम भौगोलिक, आर्थिक एवं संसाधनिक परिस्थितियों के कारण अन्य राज्यों से भिन्न है। राज्य के दुर्गम क्षेत्रों के स्थानीय लोगों को आम जनमानस से जोड़ने तथा उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के उद्देश्य से "मेरा गाँव मेरी सड़क" योजना आरंभ की गई। इस योजना के तहत एक किमी. तक की लंबाई की छोटी सड़क मुख्य मार्ग से जोडनी है, जो गांवो को जोड़ेगी।

वित्तीय व्यवस्था के तहत इस योजना मे 50 *प्रतिशत* धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी एवं शेष 50 *प्रतिशत* धनराशि मनरेगा/ सांसद निधि/ विधायक निधि/एवं अन्य मद से व्यय की जायेगी।

इकाई की लेखापरीक्षा (दिसम्बर 2016) में अभिलेखों की जांच में देखा गया कि उक्त योजना के तहत निम्नलिखित सड़कों का निर्माण कार्य किया जाना स्वीकृत था। सड़क की लंबाई एक किमी. थी –

क्रम संख्या	कार्य का नाम	गठित आगणनो की धनराशि
1	पौड़ी श्रीनगर मोटर मार्ग के कि0मी0 16 से भीताईतल्ली (अमकोटी) की ओर सीसी हल्का वाहन मोटर मार्ग का निर्माण	` 68.41 लाख
2	पौड़ी श्रीनगर मोटर मार्ग के कि0मी0 7 से ग्राम बेंगवारी तक मोटर मार्ग का निर्माण	` 58.36 लाख
3	घुड़दौड़ी से पाबों तक सड़क निर्माण	` 54.56 लाख

उपर्युक्त कार्यों से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि तीनों कार्यों के गठित आगणनो को कम करके ` 35.00 लाख के प्रत्येक आगणन की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गई। कार्यों के सम्पादन हेतु शासन द्वारा मार्च 2015 मे धनराशि निर्गत की गई। लेखा परीक्षा तिथि तक विभाग द्वारा उक्त कार्यों पर ` 59,48,756 की धनराशि व्यय की गई थी जिनका विवरण निम्न प्रकार है-

क्रम संख्या	**कार्य का नाम**	**राज्यांश से व्यय की गई धनराशि**	**मनरेगा से व्यय की गई धनराशि**	**कुल व्यय**
1	पौड़ी श्रीनगर मोटर मार्ग के कि0मी0 16 से भीताईतल्ली की ओर सीसी हल्का वाहन मोटर मार्ग का निर्माण	` 14,95,727	` 10,07,809	` 25,03,536
2	पौड़ी श्रीनगर मोटर मार्ग के कि0मी0 7 से ग्राम बेंगवारी तक मोटर मार्ग का निर्माण	` 15,15,735	` 7,17,813	` 22,33,548

3	घुड़ दौड़ी से पाबों तक सड़क निर्माण	` 8,71,850	` 3,39,822	` 12,11,672
योग				` **59,48,756**

आगे जांच में पाया गया कि उक्त तीनों सड़कों में कटिंग एवं दीवारों का कार्य तो हो गया था परंतु सी.सी. का कार्य नहीं कराया गया था। जितनी धनराशि शासन द्वारा अवमुक्त की गई थी, उतनी धनराशि से आगे भी कार्य पूर्ण नहीं किया जा सकता है। लेखा परीक्षा द्वारा निम्न बिन्दुओं पर आपत्ति उठाई गयी थी:

- एक किमी. मे कार्य किया जाना प्रस्तावित था जिसका पूर्ण आगणन बनाया गया था तब तकनीकी स्वीकृति पूर्ण कार्य के स्थान पर ` 35.00 लाख (प्रत्येक कार्य के लिए) की ली गई।

- कम स्वीकृति एवं धनावंटन के कारण प्रस्तावित कार्य अधूरा पड़ा है जिससे जनता को पूर्ण लाभ नहीं मिल रहा है। लंबे समय तक अधूरा कार्य रहने पर उसकी गुणवत्ता प्रभावित होती है परिणामस्वरूप उक्त कार्यों पर किया गया व्यय अलाभकारी था।

- शासन द्वारा उक्त कार्य के निर्माण हेतु इसके अतिरिक्त कोई धनराशि निर्गत नहीं की गई है जिस कारण कार्य पूर्ण किया जाना असम्भव है।

इस सम्बंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि अवशेष धनराशि प्राप्त होने पर भविष्य में कार्यों को पूर्ण करा लिया जाएगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि प्रस्तावित कार्य की पूर्ण तकनीकी स्वीकृति एवं धनावंटन प्राप्त न होने से तथा अधूरे कार्य के लम्बित रहने के कारण उस पर किया गया व्यय अलाभकारी था तथा कार्य की लागत में वृद्धि की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4 (ब)-1

प्रस्तर 3 - उत्तराखंड सीमांत एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि योजना अंतर्गत ` 62.21 लाख के निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन में विभिन्न स्तरों पर स्थापित नियमों का अनुपालन न किया जाना।

उत्तराखंड सीमांत एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या 3712/5 लेखा-119 दिनांक 24.03.2015 के द्वारा स्वीकृत कार्यों के क्रियान्वयन हेतु ज़िला ग्राम्य विकास अभिकरण, पौड़ी गढ़वाल द्वारा कार्यों के विरुद्ध प्रथम किश्त ज़ारी करते हुए क्षेत्र पंचायत, पौड़ी को कार्यदायी संस्था नामित किया गया था। योजनान्तर्गत कार्यों की कुल लागत को सीमांत एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि तथा मनरेगा से केंद्राभिसरण कर समायोजित किया जाना था। इसके अंतर्गत सम्पादित कराए जाने वाले कार्यों ***(अनुलग्नक-1)*** के सम्बंध में ज़ारी आदेश में उल्लिखित था कि निर्माण कार्य को निम्न निर्देशों के अंतर्गत कराया जाए:

1. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/ मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
2. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/ विशिष्टियों को को मध्यनजर रखते हुए संपादित कराना सुनिश्चित करें।
3. निर्माण कार्य को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा विशिष्टियों के अनुरूप ही सामग्री प्रयोग में लाई जाए।
4. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
5. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रस्तावित कार्यस्थल के फोटोग्राफ, कार्य के मध्य के फोटोग्राफ एवं कार्य समाप्ति पर के फोटोग्राफ अवश्य लिए जाएं। कार्यस्थल के फोटोग्राफ स्वीकृत आगणन के साथ तथा कार्य समाप्ति पर के फोटोग्राफ, उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित किए जाएं।
6. प्राप्त धनराशि का 60 *प्रतिशत* उपयोग करने पर उपयोगिता प्रमाण पत्र, चलित माप, फोटोग्राफ तथा आगणन (सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति) की प्रति के साथ द्वितीय किश्त की मांग प्रस्तुत की जाए।

इकाई द्वारा सम्पादित कराए गए कार्यों की पत्रावलियों के अवलोकन में पाया गया कि कार्यों को तीन कोटेशन के आधार पर आवंटित किया गया था। कार्य में प्रयुक्त सामग्री की जांच नहीं कराई गई थी तथा नियमानुसार/ स्वीकृति के निर्देशानुसार निम्नलिखित कमियाँ पाई गईं:

I. **<u>कार्यावंटन के समय ठेकेदारों से जमानत राशि न जमा कराया जाना</u> -** कार्यावंटन के समय जमानत राशि के रूप में 10 *प्रतिशत* राशि ठेकेदार से जमा कराई जानी अपेक्षित थी परंतु इकाई द्वारा कार्यावंटन के समय जमानत राशि नहीं जमा कराई गई थी अपितु अंतिम भुगतान के समय जमानत राशि काटी जा रही थी। इस प्रकार ठेकेदार को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ दिया गया था ***(अनुलग्नक-1)***।

II. **<u>ठेकेदारों से बिल प्राप्त किए बिना अग्रिम एवं अन्य भुगतान किया जाना –</u>** ठेकेदारों से प्राप्त सादे कागज़ पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर अवर अभियन्ताओं की संस्तुति पर ही भुगतान किए गए थे, जिसे नियमानुसार बिल प्रारूप में लेकर भुगतान किया जाना था। किए गए भुगतानों पर आयकर, बिक्रीकर एवं रायल्टी की कटौती नहीं की गई थी, इसे कार्य के विरुद्ध किए गए अंतिम भुगतान के समय काटा गया था।

III. **<u>फोटोग्राफ न प्राप्त किया जाना</u> -** कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रस्तावित कार्यस्थल के फोटोग्राफ, कार्य के मध्य के फोटोग्राफ एवं कार्य समाप्ति पर के फोटोग्राफ पत्रावली में उपलब्ध नहीं थे। इस प्रकार कार्य की प्रगति का क्रमवार विवरण/ फोटोग्राफ उपलब्ध नहीं था।

IV. **<u>कार्यों की निर्धारित समय-सीमा का अनुपालन न किया जाना</u> –** कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं किया गया था। निर्धारित समय सीमा से कार्यों में हुए विलम्ब का विवरण अनुलग्नक-1 के अनुसार था। इस प्रकार कार्य समयावधि में पूर्ण नहीं किए जा रहे थे।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट था कि सीमांत एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि योजना अंतर्गत कराये गए कार्यों के आवंटन एवं क्रियान्वयन स्तर पर स्थापित नियमों का पालन नहीं किया गया था। इससे कार्यों की गुणवत्ता के प्रभावित होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता तथा समस्त कार्यों में ठेकेदारों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ दिया गया था।

इस सम्बंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि भविष्य में समस्त प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि समस्त प्रक्रियाओं एवं आवश्यक कटौतियों को कार्यादेश एवं चलित भुगतानों के दौरान ही किया जाना चाहिए था।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

अनुलग्नक-1

(धनराशि ` लाख में)

क्रम संख्या	कार्य का नाम	कार्य की लागत	मनरेगा से केंद्राभिसरण	सीमांत एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि से स्वीकृत धनराशि	ठेकेदार को कार्य आवंटित करने की तिथि	जमानत राशि/ अन्य कटौतियों की तिथि	जमानत राशि की कटौती में विलम्ब की अवधि
1	परसुंडाखाल क्रीड़ास्थल निर्माण	6.00	2.00	4.00	17.06.15	02.11.15	04 माह 15 दिन
2	कालेश्वर में क्रीड़ास्थल निर्माण	7.21	3.00	4.21	-	-	-
3	धनक गड़ियाल गधेरे में पुलिया निर्माण	6.00	2.00	4.00	03.02.16	-	-
4	ग्राम सभा गगवाड़ा के अंतर्गत डड्डवा देवी में पुलिया निर्माण	6.00	2.00	4.00	02.12.15	-	-
5	गोदी में SC बस्ती में पेयजल लाइन एवं पेयजल टैंक निर्माण	5.00	1.00	4.00	17.06.15	09.10.15	03 माह 22 दिन
6	आगनबाड़ी केंद्र निर्माण, कोठार	5.00	2.00	3.00	-	-	-
7	सामुदायिक भवन, उफल्डा	7.00	3.00	4.00	02.12.15	05.09.16	09 माह
8	आगनबाड़ी केंद्र निर्माण, बौंसरी	5.00	-	5.00	09.04.15	12.07.16	01 वर्ष 04 माह
9	रा.प्रा.वि. भीताई में एक कक्ष निर्माण बरामदा सहित	5.00	-	5.00	-	-	-
10	ग्राम सभा बुड़ोली के अंतर्गत देवी मंदिर कथुल गधेरे पर पुलिया निर्माण	5.00	-	5.00	18.09.14	07.03.15	05 माह 19 दिन
11	रा.ई.का. कंडारा में एक कक्ष निर्माण	5.00	-	5.00	-	-	-
योग		**62.21**	**15.00**	**47.21**			

भाग 4 (ब)-2

प्रस्तर 1 - निर्माण कार्यों से सम्बन्धित बिलों से उपकर की कटौती न किया जाना : ` 2.43 लाख ।

उत्तराखंड शासन के पत्र संख्या 740/VIII/14-680 (श्रम)/2002 टी.सी.-II दिनांक 13.08.2014 द्वारा विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों में नियोजित श्रमिकों के कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा "भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली 1998" तथा "भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" के अंतर्गत अधिनियम बनाए गए हैं। इसके अंतर्गत:

- निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के उपरांत उन्हें विभिन्न हितकारी योजनाओं जैसे: पेंशन, दुर्घटना, मुआवज़ा, मृत्योपरांत सहायता, चिकित्सा सहायता, बच्चों की शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता, मातृत्व हितलाभ, पुत्री के विवाह हेतु आर्थिक सहायता, टूल-किट के रूप में सहायता आदि द्वारा लाभान्वित किए जाने हेतु प्रावधान निहित किए गए हैं।
- पंजीकृत श्रमिकों के कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन की व्यवस्था हेतु निर्माण अधिष्ठानों द्वारा अपने निर्माण कार्यों की लागत का एक *प्रतिशत* उपकर के रूप में कल्याण बोर्ड की निधि में जमा किए जाने का प्रावधान था। उपरोक्त अधिनियमों के अंतर्गत सरकारी/ गैर-सरकारी सभी प्रकार के ऐसे निर्माण कार्य सम्मिलित किए गए हैं, जिनमें 10 या 10 से अधिक निर्माण श्रमिक विगत एक वर्ष में किसी भी दिन नियोजित रहे हों।
- शासन के पत्र दिनांक 10.04.2013 द्वारा ग्राम्य विकास विभाग के समस्त खंड विकास अधिकारी, मंडी परिषद के समस्त उप निदेशक (निर्माण) तथा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अधिशासी अभियन्ताओं को उपकर निर्धारण एवं संग्रहण हेतु उपकर निर्धारण एवं संग्रहण अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। इस संबंध में निर्माण कार्यों की लागत का एक *प्रतिशत* उपकर का भी प्रावधान निर्माण कार्यों के बजट में किए जाने की आवश्यकता है।

निर्माण कार्यों से संबन्धित बिलों, व्ययकों एवं अन्य अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि क्षेत्र पंचायत द्वारा वर्ष 2014-15 से 2015-16 के दौरान चयनित कुल 14 कार्यों, जिनकी लागत ` 243.54 लाख थी, के बिलों से उपकर ` 2.43 लाख ***(अनुलग्नक-2)*** की कटौती नहीं की गई थी। जिसके कारण इसे कल्याण बोर्ड निधि में जमा नहीं कराया गया था।

इस सम्बंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि भविष्य में उपकर का प्राविधान किया जाएगा।

इकाई का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि शासनादेश निर्गत होने के दो वर्षों के उपरांत भी शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया था।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

अनुलग्नक-2

(धनराशि ` लाख में)

क्रम संख्या	कार्य का नाम	कार्य की लागत	उपकर की धनराशि (@1%)
1	पौड़ी श्रीनगर मोटर मार्ग के कि0मी0 16 से भीताईतल्ली की ओर सीसी हल्का वाहन मोटर मार्ग का निर्माण	68.41	0.68
2	पौड़ी श्रीनगर मोटर मार्ग के कि0मी0 7 से ग्राम बेंगवारी तक मोटर मार्ग का निर्माण	58.36	0.58
3	घुड़ दौड़ी से पाबों तक सड़क निर्माण	54.56	0.55
4	परसुंडाखाल क्रीड़ास्थल निर्माण	6.00	0.06
5	कालेश्वर में क्रीड़ास्थल निर्माण	7.21	0.07
6	धनक गड़ियाल गधेरे में पुलिया निर्माण	6.00	0.06
7	ग्राम सभा गगवाड़ा के अंतर्गत डडुवा देवी में पुलिया निर्माण	6.00	0.06
8	गोदी में SC बस्ती में पेयजल लाइन एवं पेयजल टैंक निर्माण	5.00	0.05
9	आगनबाड़ी केंद्र निर्माण, कोठार	5.00	0.05
10	सामुदायिक भवन, उफल्डा	7.00	0.07
11	आगनबाड़ी केंद्र निर्माण, बौंसटी	5.00	0.05
12	रा.प्रा.वि. भीताई में एक कक्ष निर्माण बरामदा सहित	5.00	0.05
13	ग्राम सभा बुड़ोली के अंतर्गत देवी मंदिर कथुल गधेरे पर पुलिया निर्माण	5.00	0.05
14	रा.ई.का. कंडारा में एक कक्ष निर्माण	5.00	0.05
योग		**243.54**	**2.43**

भाग 4 (ब)-2

प्रस्तर 2 - प्रस्तुत समायोजन पत्रक अथवा देयक का समुचित जांच किए बिना भुगतान किया जाना।

इकाई द्वारा सम्पादित कराए गए कार्यों (i) ग्राम तारालौज, पौड़ी में अनु. ज़ाति बस्ती में सी.सी. खड़ंजा मार्ग निर्माण एवं (ii) अनु. ज़ाति बस्ती बैंजवाड़ी में सी.सी./ खड़ंजा मार्ग निर्माण के पत्रावलियों के अवलोकन में देखा गया कि दिनांक 11.04.2015 से 29.04.2015 एवं दिनांक 01.06.2015 से 19.06.2015 के मस्टर रोल में श्री गजेन्द्र रावत s/o श्री बलवीर सिंह द्वारा कार्य का किया जाना दर्शाया गया था तथा श्री गजेन्द्र रावत द्वारा ही प्रस्तुत मस्टर रोल के प्रमाणीकरण के उपरांत उक्त मस्टर रोलों के विरुद्ध क्रमशः ` 54,617 एवं ` 40,007 कुल ` 94,624 का भुगतान किया गया था, जोकि मस्टर रोल की प्रमाणिकता को संदेहपूर्ण बनाता है।

इसी प्रकार बैंजवाड़ी के कार्य के विरुद्ध प्रस्तुत मस्टर रोल के विरुद्ध किया गया पूर्ण भुगतान संदेहपूर्ण था क्योंकि मस्टर रोल पर भुगतान के पश्चात हस्ताक्षर हेतु बनाए गए स्तम्भ में श्रमिकों के हस्ताक्षर नहीं लिए गए थे अपितु अलग से राजस्व टिकट पर हस्ताक्षर कर मस्टर रोल पर लगाया गया था। इस प्रकार मस्टर रोल के विरुद्ध किया गया पूर्ण भुगतान ` 42,900 संदेहपूर्ण था।

उपर्युक्त से स्पष्ट था कि मस्टर रोलों के आधार पर किए जा रहे भुगतानों की इकाई द्वारा सम्यक तरीके से जांच नहीं की गई थी तथा भुगतान के विरुद्ध समायोजन पत्रक (मस्टर रोल) त्रुटिपूर्ण एवं नियमानुकूल नहीं थे । इस प्रकार, शासकीय धन के दुरुपयोग से इंकार नहीं किया जा सकता है।

इस सम्बंध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि भविष्य में समस्त प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि समस्त प्रक्रियाओं का अनुपालन कार्यों के सम्पादन के दौरान ही किया जाना चाहिए था।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-4, अनुभाग (स)</u>

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति **खंड विकास अधिकारी, क्षे.प.- पौड़ी , जनपद- पौड़ी** को इस आशय से प्रेषित की गयी हैं कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड,वैभव पैलेस,सी-1/105,इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करें।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/ स्थानीय निकाय